न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
मुन्तकिल प्रा०पत्र सं. 52/2021
जैसाराम बनाम भगवानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10/1/2022	प्रार्थी ने जवाब आवेदन पेश किया, जो शा.मि. है जवाब की नकल वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। वकुलाय ने किया अधिवक्ता संघ चुनाव के कारण न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। श्रीमान् P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 7/2/2022 को पेश हो।	
7/2/22	प्रार्थी उप०। वकुलाय ने कोरोना संक्रमण के कारण न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 24/2/22 को पेश हो।	
24/2/22	प्रार्थी उप०। वकुलाय ने D.J. Court की मांग को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16.3.22 को पेश हो।	
16.3.22	प्रार्थी उप०। वकुलाय ने D.J. Court की मांग को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 6.4.22 को पेश हो।	
6.4.22	प्रार्थी उप०। वकुलाय ने D.J. Court की मांग को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित किया है। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27-4-22 को पेश हो।	
27/4/22	प्रार्थी जैसाराम उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भवरलाल चौधरी उपस्थित। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.10.2021 को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना में लम्बित प्रकरण संख्या–05/15 की पत्रावली को अन्यत्र सुनवाई का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया है कि राजस्व वाद संख्या–05/2015 जैसाराम [illegible]नसिंह प्रकरण का उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना से दिनांक [illegible] निर्णय हो चुका है। वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में उपखण्ड [illegible]ट्रेट डीडवाना द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 28.10.2021 की [illegible] अनुसार भी उक्त राजस्व वाद संख्या 05/2015 जैसाराम [illegible] भगवानसिंह प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब आवेदन दिनांक 10.01.2022 उल्लेखित किया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण संख्या–05/2015 जैसाराम बनाम भगवानसिंह के निर्णय दिनांक 28.10.2021 क विरूद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय डीडवाना क समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रकरण संख्या–05/15 में दिनांक 28.10.	

2021 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:28:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

A3/2

तारीख हुक्म	मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सं. 52/2021 जैसाराम बनाम भगवानसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/5/22 (लगातार)	रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना को भिजवाई जावे। आदेश सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर,नागौर कलक्टर,नागौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested